Form No.III
फर्द अहमका
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री बंशीलाल दरोगा बनाम नारायण दरोगा वगै0

किस्म मुकदमा ....वादपत्र धारा 53, 54 188 आर.टी.एक्ट प्र.न. 109 सन् 2010

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
22.02.2018	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन/परिक्षण किया गया। प्रकरण वर्ष 2010 से लम्बित होकर वादी को प्रस्तुत करने साक्ष्य, चरण हेतु नियत है। वादी ने वाद विचारण दौरान ही विवादित आराजीयात में से अपना हक हिस्स में से 3/4 हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति श्री शहाबुदीन शेख पिता शरफूदीन शेख को बेचान कर दिया गया है। जिसकी ताईद जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 में खुले नामान्तरकरण संख्या 1033 दिनांक 20.03.2010 से होती है। वादी द्वारा यह वादपत्र दिनांक 01.07.2010 को प्रस्तुत किया गया था।। यानि वादी के वाद प्रस्तुतिकरण से पूर्व ही वादी द्वारा उक्त बैचान किया जा चुका था, किन्तु वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में सद्भाविक केता श्री शहाबुदीन शेख पिता शरफूदीन शेख को, जो कि एक आवश्यक पक्षकार की श्रैणी में आता है, बतौर पक्षकार के रूप में संयोजित किये बिना ही यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। एंव उसके पश्चात भी वाद प्रस्तुतिकरण से अब तक यानि विगत 08 वर्ष से वादी अथवा उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त स्थिति से न्यायालय को अब तक अवगत नही कराया गया है, अथवा वादपत्र में आवश्यक प्रतिपूर्ति प्रस्तुत नही की गई है। जो कि न्यायिक दृष्टी से बेहद खेदजनक है। उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट वादी की गैर अनुपालना में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	-